

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 109/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
भारतीय स्टेट बैंक शाखा सार्व, तृतीय तल मैटिक्स माल, जवाहर नगर, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

श्री अरूण कुमार पाठक पुत्र श्री राम लरिधि पाठक

(1).पता-क्वार्टर नम्बर 151/1 नयी लाल बाग कालोनी, पटियाला कैंन्ट, पंजाब,

(2).पता-फ्लैट नं. 604, 6Th फ्लोर भव्यग्रीन, खसरा नम्बर 101/1, रामनगरिया, जगतपुरा,
जयपुर, एवं

(3).पता-.36/34/P 8 जानकी पैलेस, देवरी रोड, जिला आगरा, उत्तरप्रदेश।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री सियाराम सैनी, अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री विवेक बटवाल अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अरूण कुमार पाठक पुत्र श्री राम लरिधि पाठक के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. 604, 6Th फ्लोर भव्यग्रीन, खसरा नम्बर 101/1, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 761.25 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 30,04,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

५०

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक बटवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से की गई आपत्तियों का धारा 14 सरफेशी एक्ट में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 30,04,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 32,56,233/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री अरुण कुमार पाठक पुत्र श्री राम लरिथि पाठक के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. 604, 6Th फ्लोर भव्यग्रीन, खसरा नम्बर 101/1, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 761.25 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु भवन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर आदेश आज दिनांक 20.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



740
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर